

200 वर्षों में 68 फीसदी सिमट गई दिल्ली की यमुना

● बैराज-शहरीकरण बने मुख्य वजह, रिसर्च में बड़ा खुलासा ● पिछली एक सदी में 33 फीसदी प्लाइलेन नदी से कट गया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी पिछले 200 सालों में अपने मूल स्वरूप का बड़ा हिस्सा खो चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा की गई रिसर्च में पता चला है कि यमुना की औसत चौड़ाई लगभग 68 प्रतिशत घट गई है, जबकि इसके डिस्चार्ज में 89 प्रतिशत की कमी आई है। शोधकर्ताओं का तर्क है कि कई बांधों, तटबंधों और नहरों के निर्माण के संचयी प्रभाव के कारण यमुना नदी का आकार इतना बढ़ गया है। जर्नल ऑफ जियोलाॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित इस रिसर्च में दिल्ली के 50 किलोमीटर लंबे यमुना क्षेत्र में पिछले दो शताब्दियों के बदलावों का विश्लेषण किया गया।



● 658 मीटर से घटकर 210 मीटर रह गई चौड़ाई- रिसर्च के अनुसार, साल 1799 में यमुना की औसत चौड़ाई लगभग 658 मीटर थी, जो अब घटकर करीब 210 मीटर रह गई है। इसी दौरान में नदी का अनुमानित जल प्रवाह करीब 30,000 घन मीटर प्रति सेकंड से घटकर लगभग 3,900 घन मीटर प्रति सेकंड रह गया। रिसर्चर ने पिछले 200 सालों में यमुना में आए इस बदलाव का मुख्य कारण बैराज, नहरें और शहरीकरण को बताया। जिसमें ताजेवाला, ओखला, वजीराबाद, आईटीओ और इन्डियान कैबिनेट बैराज, नहरों के निर्माण, तटबंधों और तेजी से बढ़ते शहरीकरण मुख्य कारण हैं।

संक्षिप्त समाचार

पीओके में भारी हिंसा पर भड़का संयुक्त राष्ट्र

● पाक सरकार को दी चेतावनी कहा-हालात अच्छे नहीं

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अशांति और आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई ने संयुक्त राष्ट्र का ध्यान खींचा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी ने पीओके



की स्थिति पर चिंता जताई है। एजेंसी ने इलाके में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों की मौत की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। 127 जुलाई को होने वाले चुनावों से पहले पीओके में तनाव बढ़ता जा रहा है।



शुक्रवार को बयान में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, जून से अब तक हिंसा लागू कर दी है। दर्जनों लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं।

बालू-गिट्टी के अवैध खेल पर सरकार की डिजिटल स्ट्राइक !

● बिहार में अब सीधे स्टोरेज सेंटर्स से ही कट पाएगा ई-चालान पटना (एजेंसी)। बिहार सरकार ने अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर राज्य के सभी खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति (स्टोरेज लाइसेंस) वाले स्थलों की जियो-फेंसिंग अनिवार्य कर दी है। विभाग का कहना है कि इससे हर



भंडारण स्थल की सटीक भौगोलिक पहचान दर्ज होगी और ई-चालान व्यवस्था को भी अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा। नई व्यवस्था के अनुसार, लघु व्यवसायियों के लिए भंडारण स्थल की जियो-फेंसिंग कराना अनिवार्य होगा। वहीं मध्यम और वृहद व्यवसायियों को अपने भंडारण स्थल के साथ-साथ वहां स्थापित धर्मकांटा की भी जियो-फेंसिंग करानी होगी। इसके लिए संबंधित जिले के सहायक निदेशक, खनिज विकास पदाधिकारी अथवा खनन निरीक्षक स्थल का निरीक्षण करेंगे। वे भंडारण स्थल और धर्मकांटा के चारों कोनों का जीपीएस जांच करेंगे।

बारिश के लिए गधों को खिलाए गुलाब जामुन

प्रदेश के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट, डिंडोरी-उमरिया में हेवी रेन की चेतावनी

भोपाल (नप्र)। भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 44 जिलों में शनिवार को बारिश का अलर्ट है। इनमें से 2 जिले- डिंडोरी और उमरिया में भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक, 19 जुलाई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव हो रहा है। जिससे प्रदेश में अब लगातार तेज बारिश का दौर बना रहेगा। प्रदेश में शुक्रवार को 9 दिन बाद उमरिया, डिंडोरी-बालाघाट समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। भोपाल में भी बूंदबांदी का दौर रहा। लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) और साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) की वजह से बारिश वाला मौसम रहा।

वहीं, आज से नया सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा। इससे अगले 4 दिन तक प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम एक्सपर्ट शैलेंद्र कुमार नायक ने बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ रहा है। इसके साथ सक्रिय ट्रफ से नमी भी पहुंच रही है। यह सिस्टम जैसे-जैसे मजबूत होगा, बारिश का दौर भी उतना ही स्ट्रॉंग होगा।



आज इन जिलों में बारिश

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर डिंडोरी-उमरिया में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, आलीराजपुर, धार, बुरखनपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाण्डुरी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरीली, मऊगंज, मेहर, शहडोल, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्की बारिश वाला मौसम रहेगा। वहीं, श्योपुर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, आगर-मालवा, रतलाम, नीमच और मंदसौर में थूप खिलेगी।

ललिता गौतम हत्याकांड के दोषी बचेंगे नहीं: योगी

● परिवार से मुलाकात की, 5 लाख की मदद, आवास देंगे

मुख्यमंत्री गाजियाबाद में अपनी बहन के घर भी गए



गाजियाबाद (एजेंसी)। सीएम योगी ने शनिवार को गाजियाबाद में ललिता गौतम के परिवार से मुलाकात की। योगी ने वीआईपी गेस्ट हाउस में करीब आधे घंटे तक ललिता के परिवार से बात की। कहा- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। उन्होंने परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद, पिता और चाचा को एक-एक मुख्यमंत्री आवास देने का ऐलान किया। पुलिस अफसरों से अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली।

परिवार बोला- सीएम से मिलकर तसल्ली हुई

सीएम योगी से मिलने के बाद ललिता गौतम के परिवार के सदस्य वेद प्रकाश ने कहा- आज हमारा पूरा परिवार मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई छूट नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमें यह जानकर तसल्ली हुई कि जो अपराधी अभी भी फरार हैं, उन्हें भी सबूतों के आधार पर जेल भेजा जाएगा। अखिलेश यादव ने 6 दिन पहले शनिवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। अखिलेश ने दिल्ली में 1 घंटे तक चर्चा की थी।

पत्नी ने स्कूल मालिक पति को सांप से डसवाकर मारा

● आधी रात बिस्तर पर सांप को छोड़ा, लव-मैरिज की थी ● महिला का मेरठ में शादीशुदा वैन ड्राइवर से अफेयर था

मेरठ (एजेंसी)। मेरठ में स्कूल संचालक पति को पत्नी ने सांप से डसवाकर मरवा दिया। उसने शादीशुदा वैन ड्राइवर प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दामिनी ने पहले पति अतुल कुमार (32) को दूध में नींद की गोलिएं मिलाकर पिला दीं। फिर रात 2 बजे प्रेमी और सपेरां को बुलाकर बिस्तर पर करैत सांप छोड़ दिया। यह देश के 4 सबसे जहरीले सांपों में आता है। वारदात के बाद दामिनी ने प्रेमी तुषार पायला को वहां से भगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली गईं। दामिनी शुक्रवार सुबह 6 बजे कमरे में पहुंची और चीखने लगी। उसने परिजनों से कहा कि अतुल को सांप ने काट लिया है। कमरे में सांप मौजूद



था और अतुल के पैर पर डसने के निशान भी थे। इसे देखकर परिजनों को लगा कि उनकी मौत सांप के डसने से हुई है। मामला तब पलटा, जब पूछताछ में पत्नी दामिनी (30) ने बताया कि उसे गर्मी लग रही थी, इसलिए वह बेटे के साथ कमरे से बाहर सोने चली गई थी। उसके इस बयान पर परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने दामिनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। काल डिटेल खंगालने पर वैन ड्राइवर तुषार पायला से उसकी लगातार बातचीत सामने आई। तुषार को पकड़ा गया तो उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। उसने बताया कि अतुल उनकी रिश्ते में रोड़ा बन रहा था।

7 साल पहले लव मैरिज की, फिर परिवार से अलग रहने लगे

अतुल कुमार जिला मुख्यालय से 30 किमी भंडोरा गांव के रहने वाले थे। वह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता अजब सिंह (72) खेती-किसानी करते हैं, जबकि मां संतोष देवी (69) गृहिणी हैं। बड़े भाई कुलदीप सेना से रिटायर हैं और पत्नी-बच्चों के साथ बहसूमा में रहते हैं। दूसरे भाई मनदीप ने चार साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं, दामिनी ने डबल एमए और बीएड किया है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। मां हरिस्तानपुर में ही छोटे बेटे के साथ रहती हैं। 7 साल पहले अतुल ने परिवार के खिलाफ जाकर दामिनी से लव मैरिज की थी। पहले वह एक कंप्यूटर कंपनी में प्राइवेट नौकरी करते थे। चार साल पहले नौकरी छोड़कर उन्होंने कृष्ण किडस प्ले स्कूल खोला, जिसे वह पत्नी के साथ मिलकर चलाते थे। स्कूल में नर्सरी से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है और करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं। अतुल के पिता अजब सिंह ने बताया कि दामिनी की परिवार से नहीं बनती थी। उसने कहा था कि किसी पुरोहित ने चार साल तक परिवार से अलग रहने की सलाह दी है। इसके बाद अतुल हरिस्तानपुर में किए गए मकान में पत्नी दामिनी (30) और 6 साल के बेटे के साथ रहने लगे।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए कीर्तिमान गढ़ रहा भारत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

देश के पहले प्रायवेट लाइविंग व्हीकल विक्रम-1 का कक्षीय प्रक्षेपण रहा सफल

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों के साथ लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसी क्रम में शनिवार की सुबह स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा तैयार किए गए देश के पहले निजी प्रक्षेपण यान (लांच व्हीकल) विक्रम-1 का पहला ऑर्बिटल लाइविंग सफल रहा। यह उपलब्धि नए भारत के दृढ़ संकल्प, युवा वैज्ञानिकों के नवाचार और देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता वैश्विक अंतरिक्ष जगत में भारत की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाएगी। इस पहले प्रायवेट लाइविंग व्हीकल विक्रम-1 से ऑन डिमांड स्पेस लाइविंग सेवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

नरोत्तम बोले- दूल्हा पीछे आ रहा, माला उसे पहनाओ

दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान स्वागत के लिए पहुंचे थे कार्यकर्ता

दतिया (नप्र)। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। चुनाव प्रचार में नेताओं की सक्रियता के साथ उनके अंदाज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी बीच भाजपा के चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। वार्ड क्रमांक 14 और 19 के बाद वार्ड 6 और 7 में चुनाव प्रचार के दौरान डॉ. मिश्रा ने ऐसा संदेश दिया, जिसे पार्टी कार्यकर्ता संगठन को प्राथमिकता देने के रूप में देख रहे हैं।



अभी नहीं... दूल्हा पीछे आ रहा है

शुक्रवार शाम जैसे ही डॉ. नरोत्तम मिश्रा का काफिला वार्डों की गलियों में पहुंचा, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। समर्थक उन्हें माला पहनाने और तिलक लगाने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान डॉ. मिश्रा मुस्कराते हुए पीछे हट गए और मजाकिया अंदाज में कहा, अभी नहीं... अभी दूल्हा पीछे आ रहा है, माला उसे पहनाना। उनका इशारा भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की ओर था, जो उनके पीछे प्रचार में शामिल थे।

प्रत्याशी को दिया पूरा सम्मान

डॉ. मिश्रा ने अपने स्वागत को विनम्रता से टालते हुए कार्यकर्ताओं का ध्यान प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की ओर मोड़ दिया। इसके बाद समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी का फूल-मालाओं से स्वागत किया। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। आमतौर पर बड़े नेताओं का स्वागत पहले किया जाता है, लेकिन डॉ. मिश्रा ने स्वयं पीछे हटकर प्रत्याशी को प्राथमिकता दी।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा

डॉ. नरोत्तम मिश्रा के इस अंदाज को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई लोग इसे संगठन और प्रत्याशी को प्राथमिकता देने का संदेश मान रहे हैं, जबकि समर्थकों ने इसे उनकी सादगी और कार्यशैली का उदाहरण बताया। हालांकि, यह राजनीतिक विश्लेषकों की व्याख्या है।

वक्फ बोर्ड पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार

सर्वोच्च अदालत में दाखिल की याचिका, कहा-अर्जेंट सुनें मीलाई सीजेआई सूर्यकांत भी हैं तैयार, सोमवार के लिए भर दी है हमी



नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल की कांग्रेस सरकार ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड को कोई भी बड़ा फैसला लेने, कैपिटल खर्च करने या नीतिगत फैसले लेने से रोक दिया गया था। इस अपील को तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच के सामने रखा गया। सीजेआई ने मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। अब इस मामले में सोमवार या मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।

केरल सरकार की ओर से जल्द सुनवाई की अपील

सीजेआई सूर्यकांत ने मामले को सोमवार/मंगलवार को लिस्ट करने पर सहमति जताई, जब इसे अर्जेंट लिस्टिंग के लिए पेश किया गया। सीनियर एडवोकेट वी चितंबरेशन ने यह मामला उठाया और कहा कि दूसरी पार्टी को बिना कोई नोटिस दिए एक अंतरिम आदेश के जरिए बोर्ड को लगभग बंद कर दिया गया है। सीनियर वकील ने बताया कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से जुड़े एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी।

सांप से डसवाकर मारा

सांप से डसवाने से पहले कार से टक्कर भी मरवाई थी

पुलिस के मुताबिक, दो साल पहले तुषार ने अतुल के स्कूल में 10 हजार रुपए पर वैन ड्राइवर की नौकरी शुरू की। इसी दौरान उसकी दामिनी से नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। दोनों शादी कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अतुल को रास्ते से हटाने और 20 लाख रुपए की बीमा राशि हासिल करने की साजिश रची। योजना थी कि हत्या के बाद तुषार अपनी पत्नी को तलाक देगा और दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। जांच में पता चला कि दामिनी पिछले एक साल से पति की हत्या की साजिश रच रही थी। कुछ दिन पहले अतुल को एक अटिंगा कार से टक्कर भी मारी गई थी, लेकिन दामिनी ने उस मामले में मुकदमा दर्ज कराने से मना कर दिया। पुलिस के अनुसार, वह लंबे समय से अतुल के खाने में नशीली गोलिएं भी मिला रही थी। अतुल को इस बात का शक हो गया था। उन्होंने अपनी मां से भी इसकी शिकायत की थी। इसी वजह से उनकी तबीयत कई बार बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

स्कूल वाहनों पर कार्रवाई, 4 वाहन जब्त

धार। जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने 16 और 17 जुलाई को शैक्षणिक संस्थानों के स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। राजगढ़ और मनावर क्षेत्र में संयुक्त रूप से की गई। इस कार्रवाई के दौरान स्कूल वाहनों की फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई। निम्नो का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ज़ुर्माना वसूला गया और वाहन भी जब्त किए गए। 16 जुलाई को राजगढ़ क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान 55 स्कूल वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 8 वाहन नियमों के विपरीत संचालित पाए गए। इनमें से 4 वाहनों को जब्त कर राजगढ़ थाना परिसर में खड़ा कराया गया। विभिन्न अनियमितताओं के चलते संबंधित वाहन संचालकों से कुल 48,000 रूपए का ज़ुर्माना वसूला गया। इसके अगले दिन 17 जुलाई को मनावर क्षेत्र में अभियान जारी रखा गया। यहां 36 स्कूल वाहनों की जांच की गई, जिनमें 6 वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1,48,000 रूपए का ज़ुर्माना लगाया गया। यह अभियान अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हर्देश यादव के निर्देशन में चलाया गया। कार्रवाई में परिवहन उप निरीक्षक कुमारी दिव्या पाटीदार, सहायक वर्ग-2 मधुकर सिसोदिया तथा विभागीय टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई।

गीत व शॉर्ट फिल्म से नशामुक्ति संदेश

इंदौर। नशे के खिलाफ पुलिस ने अपने अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत जागरूकता गीत और शॉर्ट फिल्म का लोकार्पण किया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को इन दोनों वीडियो का शुभारंभ करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने जनभागीदारी सबसे अहम है। अभियान के तहत डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी की आवाज में तैयार किया गया गीत भैया, नशे से दूरी है जरूरी ... जीवन की हर खुशियां हैं जरूरी लोगों को नशे के दुष्परिणामों से आगाह करते हुए स्वस्थ और सकारात्मक जीवन अपनाने का संदेश देता है। पुलिस ने नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित शॉर्ट फिल्म भी तैयार की हैं। नशे की लत फैलाने वाले के स्वास्थ्य और भविष्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को भी गंभीर नुकसान पहुंचाती है। गीत और शॉर्ट फिल्म को शहर में चल रहे जनजागरूकता रथों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और विभिन्न डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंच सके। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस नए और प्रभावी माध्यमों से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर रही है।

पुणे रेलखंड में भूस्खलन से यातायात प्रभावित

इंदौर। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश और पुणे रेलखंड में हुए भूस्खलन का असर पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों पर पड़ा है। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को निरस्त करने तथा कुछ को परिवर्तित मार्ग से संचालित करने का निर्णय लिया है। इंदौर और दौंड के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 22944 इंदौर-दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक निरस्त रहेगी। इसी अवधि में दौंड से इंदौर आने वाली ट्रेन संख्या 22943 दौंड-इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बदले हुए मार्ग से किया जाएगा। 123 जुलाई 2026 को अजमेर से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 20991 अजमेर-दौंड एक्सप्रेस सुरत, पालधी और मनमाड होकर चलेगी। 18 जुलाई को ग्वालियर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 22194 ग्वालियर-दौंड एक्सप्रेस भी सुरत, पालधी और मनमाड के रास्ते से संचालित की गई। 19 जुलाई को दौंड से चलने वाली ट्रेन संख्या 22193 दौंड-ग्वालियर एक्सप्रेस का संचालन भी परिवर्तित मार्ग से होगा। यह ट्रेन दौंड, मनमाड, जलगांव, पालधी और सुरत होकर अपने गंतव्य की ओर जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। लगातार वर्षा और भूस्खलन की स्थिति को देखते हुए आगे भी परिवचालन व्यवस्था में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

गांधीनगर, लसूड़िया में महिलाओं से दुष्कर्म

इंदौर। गांधीनगर और लसूड़िया में दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांधीनगर थाने में 42 वर्षीय महिला की शिकायत पर गुरदाखेड़ी हातौद के युवक पर केस दर्ज किया है। महिला ने बताया कि फरवरी 2025 में गांधीनगर से राऊ जाते समय उसकी आरोपी से पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच संबंध बने। आरोपी शादी का वादा कर उसके घर आता रहा। एक साल बाद जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने इनकार कर दिया। लसूड़िया थाने में युवती ने भिंड निवासी युवक की शिकायत करते हुए बताया कि सितंबर 2025 में पढ़ाई के दौरान दोनों की दोस्ती हुई थी। शादी का भरोसा देकर आरोपी उसके साथ लिव-इन में रहने लगा और इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। आरोपी ने उससे रुपए भी उधार लिए। मार्च में वह भिंड जाने की बात कहकर चला गया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। जुलाई में दोबारा मिलने के बाद भी उसने शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए, लेकिन बाद में फिर शादी से मना कर दिया।

टक्कर से छोटे भाई की मौत, बड़ा घायल

इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र में गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की जान चली गई, जबकि उसका बड़ा भाई घायल हो गया। दोनों भाई बाइक से हाट बाजार खरीदारी करने जा रहे थे, तभी ओमेक्स सिटी के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा ओमेक्स सिटी के समीप हुआ। बाइक पर सवार रोहित (18) पिता बख्शिया और उसका बड़ा भाई राकेश निवासी निपानिया सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौजूद लोगों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई, जबकि राकेश का उपचार जारी है। परिजनों ने बताया कि दोनों भाई मूल रूप से धार जिले के रहने वाले थे। दो महीने पहले ही वे रोजगार की तलाश में इंदौर आए थे और भवस स्कूल के पीछे स्थित टाउनशिप में बेलदारी का काम कर रहे थे। घटना के समय दोनों ओमेक्स क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार से घरेलू सामान खरीदने जा रहे थे। हादसे के वक्त दोनों भाइयों के माता-पिता किसी काम से गुजरात गए हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही वे इंदौर के लिए रवाना हो गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि टक्कर मारकर फरार हुए अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके।

अनिका के इलाज में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, ‘एम्स’ से 23 तक जवाब मांगा

एसएमए पीड़ित बच्ची के बारे में कोर्ट ने कहा ‘अब देरी बर्दाश्त नहीं’

अभी डेढ़ करोड़ की जरूरत – सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि इलाज के लिए अभी भी करीब 1 से 1.5 करोड़

रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता है। उनका कहना था कि हर दिन की देरी बच्ची की सेहत पर प्रतिकूल असर डाल रही है। परिजनों के अनुसार एम्स प्रशासन

ने बताया है कि केंद्र सरकार से स्वीकृत 50 लाख रुपए की राशि की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही जीवन रक्षक इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाली कंपनी से इनवॉइस मंगाई जाएगी। दूसरी ओर, सामाजिक संगठनों और लोगों के सहयोग से जुटाई गई राशि भी इनवॉइस जारी नहीं होने के कारण उपयोग में नहीं लाई जा रही है। इस वजह से धन उपलब्ध होने के बावजूद इलाज की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

23 तक जवाब के निर्देश

याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि पिछली सुनवाईयों के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एम्स की ओर से लगातार समय मांगा जाता रहा है। जबकि, यह मामला एक गंभीर बीमारी से जूझ रही मासूम बच्ची के जीवन से जुड़ा है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एम्स को 23 जुलाई तक अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, ताकि मामले में आगे की सुनवाई और आवश्यक निर्णय लिए जा सकें

खजराना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की जमीन अतिक्रमण से मुक्त

निर्धारित अस्पताल का मार्ग खुला, 7 दुकानें, 2 मकान, झोपड़ियां हटाई

इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शनिवार को खजराना क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर 6.72 करोड़ रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इसी जमीन पर खजराना का अस्पताल निर्माण प्रस्तावित है। संयुक्त कार्रवाई में राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की टीम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण हटाते हुए भविष्य में प्रस्तावित अस्पताल निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करा दी। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घनश्याम धनगर के नेतृत्व में की गई। अभियान के दौरान ग्राम खजराना के सर्वे क्रमांक 435/1/1/1 स्थित 1.200 हेक्टेयर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान 7 अवैध दुकानें, 2 मकान, झोपड़ियां तथा टीन शेड को हटाकर सरकारी भूमि को पूरी तरह मुक्त कराया गया। प्रशासन के अनुसार इस भूमि पर अस्पताल का निर्माण

प्रस्तावित है। अस्पताल बनने के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस का पर्याप्त अमला मौके पर मौजूद रहा। किसी भी संभावित विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, जिससे पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

कलेक्टर ने कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में बाधा बनने वाले शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलेभर में अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

दिनेश मकवाना आत्महत्या मामले में आबकारी अधिकारी को राहत मिली

हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के आदेश, दर्ज एफआईआर निरस्त

इंदौर। चर्चित दिनेश मकवाना आत्महत्या प्रकरण में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित को बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही सीबीआई द्वारा इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर भी रद्द कर दी गई है। यह मामला शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना की आत्महत्या से जुड़ा है, जिसने उस समय प्रदेशभर में व्यापक चर्चा बटोरी थी।

आत्महत्या के पीछे कथित प्रशासनिक दबाव और कुछ अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। इसी पृष्ठभूमि में मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित की भूमिका की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। सिंगल बेंच के निर्देश के बाद सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। हालांकि, इस आदेश को चुनौती देते हुए दायर अपील पर डिवीजन बेंच ने विस्तृत सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटते हुए कहा कि उपलब्ध परिस्थितियों में सीबीआई जांच जारी रखने

**प्रकरण की कानूनी स्थिति बदली**

डिवीजन बेंच के इस फैसले के बाद मंदाकिनी दीक्षित के खिलाफ सीबीआई की जांच प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई है। अदालत के आदेश के अनुसार अब इस प्रकरण में सीबीआई की ओर से कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इस निर्णय के साथ मामले की कानूनी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आ गया है, वर्यांकि सिंगल बेंच के आदेश के आधार पर शुरू हुई पूरी सीबीआई कार्रवाई अब प्रभावहीन हो गई है।

के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसी कारण सीबीआई जांच के आदेश निरस्त कर दिए गए और जांच के लिए दर्ज एफआईआर भी समाप्त कर दी गई।

70 करोड़ की एमडी ड्रग तस्करी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई

इंदौर, मंदसौर में कई**ठिकानों पर छापे, मनी****ट्रेल की जांच**

इंदौर। करीब 70 करोड़ रुपए मूल्य की 70 किलो एमडी ड्रग तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदौर और मंदसौर में एक साथ कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मामले के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए हैं। अब ईडी पूरे नेटवर्क, अपराध से अर्जित संपत्ति और धन के प्रवाह की

गहराई से जांच कर रही है। यह कार्रवाई इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 22 के तहत दर्ज प्रकरण के आधार पर की गई। मामले की जांच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपी अपने सभी ज्ञात ठिकानों से फरार चल रहा था। इसके बाद ईडी ने उसकी तलाश के लिए व्यापक स्तर पर खुफिया निगरानी शुरू की।

कई दिनों तक नजर रखी- जांच एजेंसी ने हेदराबाद, बीकानेर और इंदौर में कई दिनों तक आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। लगातार ट्रैकिंग और निगरानी के बाद उसे इंदौर के एक अज्ञात ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया।

राऊ चौराहा व बायपास पर सख्त जांच, 11 वाहनों पर कार्रवाई की

इंदौर। जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में संभागीय परिवहन सड़क सुरक्षा दस्ता ने शुक्रवार को राऊ चौराहा और बायपास क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर लोक परिवहन, स्कूल एवं कॉलेज वाहनों तथा मालवाहक वाहनों की सघन जांच की। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये से अधिक का ज़ुर्माना वसूला गया। संभागीय परिवहन सड़क सुरक्षा दस्ता द्वारा जांच के दौरान वाहनों के आवश्यक दस्तावेज, परमिट की शर्तों का पालन, निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, वाहन की गति, स्पीड गवर्नर और अन्य सुरक्षा प्रावधानों की विस्तार से जांच की गई। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि कहीं बस संचालक यात्रियों से निर्धारित किए गए से अधिक राशि तो नहीं वसूल रहे हैं और कहीं वाहन ओवरलोड होकर तो नहीं चलाए जा रहे हैं।

उच्च सुरक्षा पंजीयन नंबर प्लेट- अभियान के दौरान अधिकारियों ने वाहन मालिकों और चालकों को अपने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन नंबर प्लेट

सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक लाख से अधिक ज़ुर्माना

(एचएसआरपी) अनिवार्य रूप से लगवाने के लिए भी जागरूक किया। स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों के परिवहन में लगे वाहनों की अलग से जांच की गई। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि

सभी वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं तथा उनके दस्तावेज और परमिट पूरी तरह वैध हैं, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

11 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई

संभागीय परिवहन सड़क सुरक्षा दस्ता के प्रभारी परिवहन निरीक्षक आकाश सितोले ने बताया कि जांच के दौरान बसों में इमरजेंसी एमिजेंट, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित निकास की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। कई वाहनों में सुरक्षा संबंधी कमियां और मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और एक लाख रुपये से अधिक का ज़ुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि वाहन संचालकों और मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी वाहन मोटर यान अधिनियम और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही संचालित किए जाएं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह नियमित और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इन अभिनेत्रियों को मिला ‘पद्मश्री’ सम्मान

भारतीय फिल्म जगत का इतिहास हमेशा से ही सशक्त और प्रतिभाशाली महिलाओं के अभिनय से समृद्ध रहा है। सिनेमा के परदे पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली और समाज को प्रभावित करने वाली इन कलाकारों को समय-समय पर देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से नवाजा जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्मश्री देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में असाधारण काम करने वालों को मिलता है।



हिंदी फिल्म उद्योग यानी बॉलीवुड की कई दिग्गज अभिनेत्रियों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी और लंबे फिल्मी सफर के जरिए इस सम्मान को अपने नाम किया है। इस गौरवशाली सफर की शुरुआत समानांतर और व्यावसायिक सिनेमा दोनों में अपनी खास पहचान बनाने वाली दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल से होती है। उनके लाजवाब अभिनय को देखते हुए उन्हें वर्ष 1985 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आज भी उनका काम भारतीय फिल्म इतिहास की एक अमूल्य विरासत है।

इसके बाद, वर्ष 2000 में 'ड्रीम गर्ल' के नाम से मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी को इस सम्मान से नवाजा गया। हेमा मालिनी ने न केवल फिल्मों में ब्लॉकबस्टर पारियां खेलीं, बल्कि शास्त्रीय नृत्य और सार्वजनिक जीवन में भी बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। इस क्रम में, हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपनी सादगी और अभिनय का जादू बिखेरने वाली दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को वर्ष 2005 में इस सम्मान के योग्य चुना गया। वैश्विक पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाली और अपनी खूबसूरती व अभिनय के लिए जानी जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन को वर्ष 2009 में पद्म श्री प्रदान किया गया।

भारतीय सिनेमा की सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में शुमार रेखा को वर्ष 2010 में उनके शादार फिल्मी योगदान के लिए पद्मश्री मिला। उन्होंने अपने पूरे करियर में कई ऐसे किरदार निभाए जो आज भी मिसाल माने जाते हैं। इसके ठीक अगले साल, यानी वर्ष 2011 में दो बेहतरीन अभिनेत्रियों, काजोल और तब्बू को इस सम्मान से विभूषित किया गया।

काजोल ने जहां अपनी सुपरहिट और कल्ट फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज किया, वहीं तब्बू ने अपने गंभीर, संजीदा और लोक से



हटकर किए गए अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में एक बेहद सम्मानित स्थान बनाया है। भारतीय सिनेमा की पहली 'महिला सुपरस्टार' कही जाने वाली दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को वर्ष 2013



में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। श्रीदेवी ने हिंदी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी कई दशकों तक अपनी बादशाहत कायम रखी। इसके बाद वर्ष 2014 में हर किरदार में जान फूंक देने वाली अभिनेत्री विद्या बालन को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा को वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया। प्रियंका ने अपने विविध किरदारों और मेहनत से भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। हाल के वर्षों की बात करें तो अपनी बेबाक अदाकारी और महिला केंद्रित फिल्मों के जरिए दर्शकों को प्रभावित करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को वर्ष 2020 में इस सम्मान से नवाजा गया था। वहीं, अपने दौर में कई यादगार और सशक्त भूमिकाएं निभाने वाली अभिनेत्री रवीना टंडन को वर्ष 2023 में पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया। ये सभी अभिनेत्रियां इस बात का जीता-जागता उदाहरण हैं कि जब प्रतिभा के साथ कड़ा परिश्रम और समर्पण जुड़ जाता है, तो कलाकार न केवल करोड़ों फैंस का दिल जीतते हैं, बल्कि देश के सर्वोच्च पायदान पर भी अपना नाम दर्ज कराते हैं। इन कलाकारों का यह सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।

‘बॉर्डर 2’ के बाद ‘बॉर्डर 3’ की तैयारी

साल 2025 में आई ‘बॉर्डर 2’ की शानदार कामयाबी के बाद जेपी फिल्मस् के बैनर तले एक बार फिर युद्ध के मैदान की गाथा बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। निर्माता निधि दत्ता ने आने वाले समय में पांच बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने का फैसला किया है, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा ‘बॉर्डर 3’ को लेकर हो रही है। यह फिल्म इस बार किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं, बल्कि एक वीर बायोपिक के रूप में दर्शकों के सामने आएगी, जो भारतीय सेना के जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की ज़िंदगी पर आधारित होगी। निधि दत्ता की इस महत्वाकांक्षी योजना में ‘बॉर्डर 3’ के अलावा कई और दिलचस्प



प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इनमें ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक एयर फ़ोर्स ड्रामा फिल्म, भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक ट्रेजर हंट फिल्म, और मशहूर फिल्म मेकर ओपी दत्ता

‘पंजाब का रक्षक’ कहा जाता है। 1 अक्टूबर 1913 को जन्मे और वीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वेस्टर्न कमांड के कमांडर थे। उस युद्ध में उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए पीछे हटने के सरकारी आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था और दुश्मन पर जवाबी हमला बोल दिया। उनके इसी साहसिक फैसले की वजह से अमृतसर को पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आने से बचाया जा सका था। युद्ध में उनके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए साल 1966 में उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। 14 नवंबर 1999 को देश के इस महान सपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

जब पिरिंदों ने परदे पर प्रेम की भावनाओं को दी उड़ान



हिंदी सिनेमा में पक्षी केवल प्रकृति की सुंदरता का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भावनाओं, प्रेम, स्वतंत्रता, विरह और उम्मीद के सबसे सशक्त प्रतीकों के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। कभी गीतों में



उनकी वहवहहट गूंजी, कभी कथानक में उन्होंने संदेशवाहक की भूमिका निभाई और कभी फिल्म के शीर्षक बनकर दर्शकों की स्मृतियों में बस गए। बदलते दौर में भले ही तकनीक और प्रस्तुति का अंदाज बदल गया हो, लेकिन परिंदों की उड़ान आज भी हिंदी फिल्मों की संवेदनशील दुनिया का अभिन हिस्सा बनी हुई है।



उसी तोते को खोजकर खलनायक का अंत करता है। कई फिल्मों में हास्य या कल्पना के सहारे पात्रों को तोता या कबूतर बना दिया जाता था। वहीं डरावनी फिल्मों में उल्टू और चमगादड़ का उपयोग रहस्य और भय का वातावरण रचने के लिए किया गया। निर्देशक मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्मों में बाज को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ‘मद’ और ‘धरमवीर’ जैसी फिल्मों में बाज केवल एक पक्षी नहीं रहा, बल्कि कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उसकी मौजूदगी ने इन फिल्मों के कई दृश्यों को यादगार बना दिया।

गीत-संगीत की दुनिया में भी पक्षियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। फिल्म चोरी-चोरी में नर्गिस का गीत ‘पंछी बनूँ उड़ती फिरूँ मस्त गगन में’ आज भी स्वतंत्रता और खुले जीवन का सबसे सुंदर फिल्मी प्रतीक माना जाता है। फिल्म में सुंदर हूँ में लीना चंदावरकर ‘ओ मिट्ठ

रियल बॉक्स

वैचारिक आजादी और सिनेमा पर लटकी तलवार



न दिनों फिल्म ‘सतलुज’ का विवाद डिजिटल स्वतंत्रता के भ्रम पर उंगली उठा रहा है। मूल रूप से ‘पंजाब ’95’ नाम से निर्मित और हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन और पंजाब के एक बेहद संवेदनशील दौर पर आधारित है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर ने इस फिल्म को लेकर कड़ा रख अपनाया और निर्माताओं को लगभग 127 कट लगाने का निर्देश दिया। लंबे कानूनी और प्रशासनिक संघर्ष के बाद, फिल्म को ‘सतलुज’ नाम से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज तो किया गया, लेकिन सुरक्षा कारणों और राष्ट्रीय संप्रभुता का हवाला देकर इसे डिजिटल स्पेस से भी हटा दिया गया। यह घटनाक्रम इस धारणा को खंडित करता है, कि ओटीटी प्लेटफॉर्म गंभीर और यथार्थवादी सिनेमा के लिए एक स्वतंत्र खिड़की साबित होंगे। अब तक डिजिटल माध्यमों को सिनेमाघरों की तुलना में अधिक उदार और सेंसरशिप से मुक्त माना जाता था, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में हाल के संशोधनों ने सरकार को यह असौमित्र शक्ति दे दी कि वह ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ या ‘शांति भंग’ की आशंका के आधार पर किसी भी डिजिटल सामग्री को प्रतिबंधित कर सके। यह स्थिति कला के क्षेत्र में एक प्रकार का ‘चिलिंग इफेक्ट’ पैदा करती है, जहां फिल्म निर्माता वित्तीय और कानूनी जोखिमों से बचने के लिए स्वयं ही अपनी रचनात्मकता को सीमित करने लगते हैं।

भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्ने पलटने पर ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं, जहां सेंसर बोर्ड से ‘हरी झंडी’ मिलने के बावजूद फिल्मों को थियेटर तक पहुंचने से रोका गया। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि सेंसरशिप केवल एक संस्थागत प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दबावों से संचालित होती है। वर्ष 1993 के मुंबई बम धमाकों पर आधारित अनुराग कश्यप की फिल्म ‘ब्लैक फ्राइडे’ को सेंसर बोर्ड ने अनुमति दे दी थी, परंतु एक याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके प्रदर्शन पर तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक कि अदालत कार्यवाही पूरी नहीं हो गई। तर्क था कि फिल्म वास्तविक गवाहों और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसी प्रकार, दीपा मेहता की फिल्म ‘वाटर’ जो वाराणसी की विधवाओं की दयनीय स्थिति का कथानक था, उसे देश में शूट नहीं करने दिया गया। भारी विरोध प्रदर्शनों, सेटों की तोड़फोड़ और संस्कृति विरोधी होने के आरोपों के कारण उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की दुहाई देकर इसकी शूटिंग रोक दी। इस वजह से फिल्म को श्रीलंका में फिल्माया गया। आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों, विशेषकर ‘राम के नाम’ और ‘फाटर, सन एंड होली वॉर’ के साथ तो वह संघर्ष दशकों लंबा चला। सेंसर बोर्ड की बाधाओं को पार करने के बाद भी दूरदर्शन जैसे सार्वजनिक प्रसारकों पर इनके प्रदर्शन को रोकने की हर संभव कोशिश की गई। हालांकि, इन मामलों में न्यायपालिका ने हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में निर्णय देकर कला का मार्ग प्रशस्त किया।

राजनीतिक नफा-नुकसान के लिए फिल्मों को बलि का बकरा बनाने के प्रसंगों में प्रकाश झा की ‘आरक्षण’ और मधुर भंडाकर की ‘इंदु सरकार’ भी शामिल हैं। ‘आरक्षण’ को जातिगत तनाव की आशंका के चलते कुछ राज्यों में प्रतिबंधित किया गया, जबकि ‘इंदु सरकार’ को 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि के कारण

भारी राजनीतिक विरोध और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। संजय लीला भंसाली की ‘पद्मावत’ का विवाद राज्य सरकारों की लाचारी या राजनीतिक अवसरवादिता का सबसे उग्र उदाहरण रहा है। सेंसर बोर्ड के कहने पर फिल्म का नाम बदलने और कई संशोधनों के बाद ‘यू/ए’ सर्टिफिकेट दिया, इसके बावजूद, कुछ संगठनों के हिंसक विरोध के आगे झुकते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करते हुए यह स्पष्ट करना पड़ा कि एक बार जब वैधानिक संस्था फिल्म को पास कर देती है, तो कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है, न कि फिल्म को प्रतिबंधित करना।

बीते दशकों की तुलना में वर्तमान में सेंसरशिप का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। पहले जहां सेंसरशिप केवल ‘केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड’ (सेंसर) की कैंची तक सीमित थी, वहीं अब एक अधिक खतरनाक ‘समानांतर सेंसरशिप’ का उदय हो गया। यह

कमल हासन की ‘विश्वरूपम’ को लेकर हुआ विवाद इसका सटीक उदाहरण है, जहां धार्मिक भावनाओं के आहत होने के आधार पर राज्य सरकार ने फिल्म के प्रदर्शन को अधर में लटका दिया था। विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’ और सुदीप्तो सेन की ‘द केरला स्टोरी’ जैसी फिल्मों को जहां कुछ राज्यों में कर-मुक्त किया गया, वहीं कुछ अन्य राज्यों में इन पर अघोषित प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। यह विरोधाभास साबित करता है कि सिनेमा अब केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि राजनीतिक धुवीकरण का एक प्रमुख हथियार और शिकार दोनों बन गया।

‘सतलुज’ जैसी फिल्मों का डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया जाना इस बात का संकेत है कि अब कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए कोई सुरक्षित गलियारा नहीं बचा। राज्य का यह तर्क कि देश की एकता, अखंडता और सार्वजनिक शांति किसी भी रचनात्मक आजादी से ऊपर है, सिद्धांत रूप में सही हो सकता है। परंतु, इस तर्क की आड़ में असहमति की आवाजों को दबाना या इतिहास के कड़वे और



समानांतर व्यवस्था राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों, वैचारिक समूहों और सोशल मीडिया की ट्रेल आर्मी के गठजोड़ से संचालित होती है। जैसे ही कोई फिल्म किसी संवेदनशील या लोक से हटकर मुद्दे को छूती है, ये समूह सड़कों पर हिंसा और डिजिटल स्पेस में ‘बॉयकोट’ का अभियान शुरू कर देते हैं। राज्य सरकारें अवसर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी विफलता को छुपाने के लिए या बहुसंख्यक भावनाओं को तुष्ट करने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुनती हैं और फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा देती हैं। इस अनिश्चितता के माहौल में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स मालिक भारी वित्तीय नुकसान के डर से स्वयं ही कदम पीछे खींच लेते हैं। यह प्रवृत्ति सेंसर बोर्ड जैसी वैधानिक संस्था की प्रासंगिकता और स्वायत्तता पर गंभीर सवालिया निशान लगाती है। यदि बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्म भी देश में सुरक्षित रूप से प्रदर्शित नहीं हो सकती, तो ऐसी नियामक संस्था के होने का तार्किक औचित्य समाप्त हो जाता है।

सिनेमाई पाबंदियों के इस विमर्श में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रसंगों को जोड़ना प्रासंगिक होगा, जो यह दर्शाते हैं कि सत्ता चाहे किसी भी दल की हो, वह अपनी आलोचना के प्रति असहिष्णु रही है। वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की व्यंग्यात्मक फिल्म ‘किस्सा कुर्सी का’ का पूरा प्रिंट ही नष्ट कर दिया गया था। क्योंकि, वह तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर सीधा प्रहार करती थी। इसी तरह गुलज़ार की ‘आंधी’ को भी इंदिरा गांधी के जीवन से समानताएं दिखाने के भ्रम के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। सेंसरशिप की यह राजनीति केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी उतनी ही प्रभावी है। तमिल फिल्म ‘दशावतारम’ या

असुविधाजनक पन्नों को पूरी तरह से फाड़ देना किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सिनेमा केवल मनोरंजन या व्यावसायिक लाभ का जरिया नहीं है, बल्कि यह समाज के दबे हुए दर्द, ऐतिहासिक भूलों और मानवीय त्रासदियों को दर्ज करने का एक जीवंत दस्तावेज है। यदि किसी लोकतांत्रिक समाज या सरकार को किसी फिल्म के दृष्टिकोण से गंभीर आपत्ति है, तो उसका प्रतिकार करने का सही तरीका वैचारिक बहस, समीक्षाएं और स्वस्थ विमर्श होना चाहिए, न कि राज्य की दमनकारी शक्ति का उपयोग करके उस पर ताला लगा देना।

इतिहास इस बात का गवाह है कि कला पर थोपे गए प्रतिबंध कभी भी स्थायी नहीं रहे हैं। जो फिल्में अपने समय में प्रतिबंधित या प्रताड़ित की गईं, वे कालांतर में सिनेमा की कालजयी कृतियां बनीं और दर्शकों तक पहुंचीं। आज के सूचना और संचार क्रांति के युग में, जहां तकनीक ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है, किसी भी निचार या कलाकृति को पूरी तरह से दबाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। सरकारें फिल्मों पर तात्कालिक प्रतिबंध लगाकर राजनीतिक विवादों को कुछ समय के लिए भले ही टाल दें, लेकिन वे उस बुनियादी सवाल को नहीं टाल सकतीं जो कला की आजादी और लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा है। एक परिपक्व और सुदृढ़ लोकतंत्र की वास्तविक पहचान इसमें है कि वह असुविधाजनक सच का सामना करने और उस पर खुले दिमाग से संवाद करने का साहस दिखाए, न कि सच दिखाने वाले परदे को ही गिरा दे।

- hemantpal60@gmail.com/ 9755499919

